विभाग का नाम :—खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :—_आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

अतांराकित प्रश्न संख्या :— 69—अतारांकित

दिनांकः— 02—12—2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :—श्री राजेश ऋषि

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :—

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में संभावित मिलावट को रोकने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाई गई है,	जी हॉ।
ख)	यदि हॉ, तो उसका ब्यौरा क्या है,	सरकार द्वारा खाद्य पदार्थो में संभावित मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार निम्न कदम उठाता है— 1. विभाग द्वारा दिल्ली में खाद्य कारोबारकर्ताओं सेसमय—समय पर खाद्य पदार्थों के नमूने जॉच के लिए उठाए जाते है। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरूद्ध मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। 2. विभाग द्वारा दिल्ली में सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकृत किया जा रहा है। उन्हें पंजीकरण/लाईसेंस निर्गत किए जा रहे हैं। 3. विभाग द्वारा समय—समय पर मिलावट के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। 4. विभाग द्वारा दिल्ली में खाद्य कारोबार—कर्ताओं का समय—समय पर खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत अनुसूची —4 के अनुसार निरीक्षण किया जाता है, कमी पाने पर सुधार नोटिस जारी किया जाता है।
ग)	क्या यह सत्य है कि राजधानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की अक्षमता की वजह से खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले बढ़ते जा रहे हैं,	जी नहीं।

घ)	वर्ष 2013—14, 2014—15, 2015—16 तथा 2017—18 से 15 नवंबर 2019 तक विभाग द्वारा कितने—कितने छापे मारे गए, इनमें कितने उठाये गये और उठाये गए सैंपल में से कितने पास हुए और कितने फेल, और	विवरण संलग्नक 'क' पर है।
ड)	वर्ष 2013—14, 2014—15 तथा 2015—16 में जिन व्यापारियों के खाद्य सैंपल फेल हुए, उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?	जिन व्यापारियों के खाद्य पदार्थों के सैम्पल फेल हुए, उनके विरूद्ध खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 नियम व विनियमन 2011 के तहत विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें दर्ज कराये गए।

SATISH KUMAR GUPTA
Designated Officer/Licenssing Authority
Depatt. of Food Safety
(Govt. of NCT of Delhi)
8th Floor, Mayur Bhawan
Connaught Place, New Delhi-110001

संलग्नक 'क'

छापे /जांच के लिए उठाये गए नमूने का विवरण

क0सं	वर्ष	लिए गए कुल नमूने	शुद्ध	मिसब्रान्डेड	सबस्टैंडर्ड	असुरक्षित	उल्लंघन	
1	2013—14	1188	1070	25	38	49	06	
2	2014—15	1484	1333	43	51	47	11	
3	2015—16	1474	1235	95	40	74	30	
4	2016—17	1155	1035	54	14	33	19	
5	2017—18	1275	1155	53	19	36	12	
6	2018—19	2461	2045	160	135	73	44	
7	2019— 15 नवम्बर, 19	1303	903	115	71	71	18	125 लंबित

SATISH KUMAR GUPTA
Designated Officer/Licensing Authority
Depatt. of Food Safety
(Govt. of NCT of Delhi)
8th Floor, Mayur Bhawan
Connaught Place, New Delhi-110001

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
खाद्य संरक्षा विभाग, 8वीं मंजिल,
मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01

सं0एफ 231(3)/डीओ वी0 एस0/विधानसभा/2019 / 9222 दिनांक– 27.11.19

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषय– दिनांक 02.12.2019 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्र0सं0 69 का उत्तर।

महोदय,

इस विभाग को उपरोक्त विषय में भेजे गए विधानसभा प्रश्न दिनांक 22.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रश्नों के उत्तर की वांछित 100 एवं 150 प्रतियॉ निर्धारित पपत्र में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। यह सूचना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से जारी है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
गुरप्रीत सिंह

(गुरप्रीत सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख,
खाद्य संरक्षा विभाग

सं0एफ 231(3)/डीओ वी0 एस0/विधानसभा/2019 दिनांक–

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, ब्लॉक नं0–9, दिल्ली (प्रश्नों के उत्तर की 150 प्रतियॉ संलग्न हैं)

(गुरप्रीत सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख,
खाद्य संरक्षा विभाग